

राजस्थान सरकार
वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए आवेदन – पत्र

1. (1) नाम एवं आयु(अगली जन्म तारीख)
(2) क्या अस्थायी है या स्थायी है—
2. पदनाम —
3. स्थायी आवास का पता—
4. विभाग का नाम जिसमें नियुक्त है—
5. मासिक संस्थायी वेतन(सब्सटेंटिव-पे) एवं स्थानापन्न वेतन(यदि कोई हो)—
6. सेवानिवृत्ति की तारीख—
7. क्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित वाहन की किश्त एवं अनुमानित मूल्य—
8. मांगे गये ऋण की राशि—
9. वाहन अग्रिम यदि पहले आहरित किया गया हो तो उसे स्वीकृत किए जाने के आदेश की संख्या एवं तारीख (सही प्रतिलिपि संलग्न कीजिए) तथा दिनांक जिसकी उसकी पूर्ण अदायगी की गयी थी—
10. क्या अधिकारी कार/जीप/स्कूटर/मोटर साईकिल/आदि का अपने स्वयं के व्यय पर व्यापक आधार पर जीवन बीमा निगम या इसकी शाखा के पास बीमा कराना अथवा राज्य बीमा विभाग द्वारा संधारित राजस्थान एडवांस हजार्ड फण्ड में योगदान करना स्वीकार करता है—

घोषणा

1. मैं एतद् द्वारा स्वयं को इससे बाध्य करता हूँ कि मैं धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए मैंने आवेदन किया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा वाहन क्रय के लिए निर्धारित नियमों की पूर्ण अनुपालना करते हुए करूंगा।
2. मैं एतद् द्वारा स्वीकार करता हूँ कि, अग्रिम एवं उस पर ब्याज की पूर्ण अदायगी करने से पूर्व त्याग-पत्र देने, सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी, हटाये जाने (निमूवल) या सेवा से अनिवार्य निवृत्ति या मृत्यु की दशा में, सरकार ऋण की एवं उस पर ब्याज की बकाया राशि की, उपर्युक्त परिस्थितियों में से किसी के भी घटित होने पर या उसके बाद मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान/बोनस अथवा अंशदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान या अवकाश वेतन या अन्य परिलब्धियों में, जो मुझे देय हो, वसूल कर सकेगी।

1.....(नाम)

2.....(नाम)

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरे जाने के लिए

1. आवेदक का नाम एवं पद
2. नियुक्ति की तारीख
3. जन्म की तारीख
4. स्थायीकरण की तारीख
5. मूल वेतन
6. क्या पूर्व में वाहन ऋण प्राप्त किया है! यदि हाँ तो स्वीकृति की संख्या.....
दिनांक..... राशि..... अंतिम अदायगी की संख्या.....
तारीख..... (अंतिम किश्त)

उपर्युक्त तथ्यों को अभिलेख के अनुसार प्रमाणित किया जाता है तथा विश्वास किया जाता है कि यदि कर्मचारी को वाहन ऋण स्वीकृत किया जाता है तो इससे सरकारी कार्य में उसकी दक्षता बढ़ेगी।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
पदनाम.....

टिप्पणी:- आवेदक द्वारा सलंगन किए जाने वाले प्रमाण-पत्र:-

1. प्रोफोर्मा इनवॉइस (यदि नया वाहन क्रय करना हो)।
2. विक्रय के लिए शपथ पत्र (1) पंजीयन की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि एवं (2) का एम.टी.ओ. का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र (यदि पुराना वाहन क्रय करना हो)।
3. आवेदक द्वारा शपथ पत्र जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि, ऋण के आहरण से एक माह के भीतर, विक्रेता की रसीद, पंजीयन की प्रतिलिपि एवं वाहन के बीमा की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी जाएगी।

.....